संख्या-20/2017/क0नि04-1540/11-2017-300(8)/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊ: दिनाँक 08 दिसम्बर, 2017**

विषय: जी0एस0टी0एन0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नेटवर्क सिक्योरिटी हेतु यू0टी0एम0 डिवाइस तथा साफ्टवेयर के क्रय हेतु यू0पी0डेस्को को अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0 अनुभाग-नेटवर्क सिक्योरिटी (2017-18)/1143/वाणिज्य कर, दिनांक-10 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी0एस0टी0एन0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नेटवर्क सिक्योरिटी हेतु यू0टी0एम0डिवाइस तथा साफ्टवेयर के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-16/2017-क0नि0-4-1276/11-2017-300(8)/2016, दिनांक-22 नवम्बर, 2017 द्वारा धनराशि रूपये-76,60,338.00 (रूपये-छिहत्तर लाख साठ हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की गयी।

2- उक्तानुक्रम में नेटवर्क सिक्योरिटी हेतु यू0टी0एम0डिवाइस तथा साफ्टवेयर के क्रय हेतु धनराशि रूपये-76,60,338.00 (रूपये-छिहत्तर लाख साठ हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) यू0पी0 डेस्को को अग्रिम भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज (अधिकतम फिक्सड डिपाजिट की दर पर) अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश का होगा।

(ii) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(iii) अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा महालेखाकार के पुस्तांकित आंकडों में करा लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iv) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश का होगा।

(v) यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(vi) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1-(1)69, दिनांक-25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक-10.06.2011 के अन्तर्गत निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत शासनादेशों, नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-9-424/ दस-2017, दिनांक-06 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-20/2017/क0नि04-1540(1)/11-2017, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक,वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।